भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 875

09 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई के तहत लाभार्थी

875. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लाभान्वित लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) हरियाणा राज्य में पीएमजीकेएवाई के माध्यम से लाभान्वित लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) हरियाणा राज्य में बेहतर कार्यान्वयन और 100 प्रतिशत खाद्य वितरण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख पहल की गई हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): वर्तमान में, देश भर में 80 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) लाभार्थी नि:शुल्क खाद्यान्न का लाभ ले रहे हैं। पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों की राज्य-वार सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख): हरियाणा राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों का जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): पीडीएस सुधारों के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूर्णतया डिजिटीकृत कर दिया गया है, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर कार्यान्वित कर दिया गया है। इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़ और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण स्कीम को अपनाया है) में ऑनलाइन आवंटन कार्यान्वित कर दिया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। वर्तमान में, राष्ट्रीय स्तर पर 99.8% राशन कार्डों को आधार संख्या से जोड़ दिया गया है और लगभग सभी एफपीएस को पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों के बायोमीट्रिक/आधार प्रमाणीकरण द्वारा पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) खाद्यान्न वितरण के लिए ई-पीओएस उपकरणों की स्थापना करके स्वचालित कर दिया गया है।

...2/-

इसके अलावा, हरियाणा राज्य सरकार ने बताया है कि सभी आवश्यक वस्तुओं को बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण के बाद इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनों (ई-पीओएस) के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। इसलिए, डायवर्जन की कोई भी संभावना नगण्य है। इस संबंध में, राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि वर्तमान मानदंडों के अनुसार, आवेदकों को बीपीएल/एएवाई राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे उनकी आय मानदंड, अर्थात् 1.80 लाख रुपए प्रति वर्ष तक, के अनुसार परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) डाटाबेस की मदद से स्वचालित रूप से तैयार किया जा रहा है।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 875 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 31.01.2024 की स्थिति के अनुसार पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्तमान कवरेज (लाख में)			
		एएवाई		प्राथमिकता एचएच	कुल व्यक्ति
		परिवारों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	
1	आंध्र प्रदेश	9.08	23.52	244.70	268.22
2	अरुणाचल प्रदेश	0.38	1.50	6.90	8.40
3	असम	6.92	28.08	223.08	251.17
4	बिहार	25.01	125.05	746.11	871.16
5	छत्तीसगढ	7.19	20.42	180.35	200.77
6	दिल्ली	0.69	2.78	70.00	72.78
7	गोवा	0.12	0.46	4.86	5.32
8	गुजरात	7.73	35.53	316.07	351.60
9	हरियाणा	2.68	11.35	115.14	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	1.82	7.67	20.98	28.64
11	झारखंड	8.94	34.76	229.43	264.19
12	कर्नाटक	10.97	43.91	358.02	401.93
13	केरल	5.96	25.59	129.21	154.80
14	मध्य प्रदेश	14.63	54.93	479.86	534.79
15	महाराष्ट्र	25.05	108.01	592.16	700.17
16	मणिपुर	0.64	1.82	18.26	20.08
17	मेघालय	0.70	2.91	18.54	21.46
18	मिजोरम	0.26	0.64	6.19	6.83
19	नगालैंड	0.48	2.11	11.94	14.05
20	ओडिशा	12.54	37.52	288.46	325.98
21	पंजाब	1.79	7.64	133.80	141.45
22	राजस्थान	6.29	22.29	417.72	440.01
23	सिक्किम	0.17	0.57	3.24	3.81
24	तमिलनाडु	18.64	65.78	298.34	364.12
25	तेलंगाना	5.67	15.29	176.33	191.62
26	त्रिपुरा	1.09	4.62	19.81	24.43
27	उत्तर प्रदेश	40.88	132.65	1372.54	1505.19
28	उत्तराखंड	1.84	7.92	54.02	61.94
29	पश्चिम बंगाल	16.42	54.99	546.85	601.84
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.04	0.14	0.46	0.61
31	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.05	0.24	2.45	2.69
32	लक्षद्वीप	0.01	0.04	0.18	0.22
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	0.00	0.01	2.98	2.99
34	पुडुचेरी (डीबीटी)	0.25	0.82	5.52	6.34
35	जम्मू एवं कश्मीर	2.33	10.61	61.80	72.41
36	लद्दाख	0.06	0.29	1.15	1.44
कुल		**237.31**	**892.45**	**7157.49**	**8049.94**

*****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 875 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध							
पीएमजीकेएवाई के तहत लाभार्थियों का विवरण							
क्र.सं.	जिला	एएवाई		एसबीपीएल (बीपीएल)		कुल	
		कार्ड	यूनिट	कार्ड	यूनिट	कार्ड	यूनिट
1	अंबाला	15,142	48,988	1,72,603	6,73,205	1,87,745	7,22,193
2	भिवानी	17,114	58,001	2,04,385	7,96,393	2,21,499	8,54,394
3	चरखी दादरी	5,713	19,193	82,016	3,20,357	87,729	3,39,550
4	फरीदाबाद	6,638	21,739	3,16,929	12,68,052	3,23,567	12,89,791
5	फ़तेहाबाद	17,827	60,331	1,69,563	6,67,616	1,87,390	7,27,947
6	गुडगाँव	6,107	20,044	1,75,619	6,53,941	1,81,726	6,73,985
7	हिसार	24,718	83,151	3,02,143	11,77,067	3,26,861	12,60,218
8	झज्जर	8,054	26,427	1,39,990	5,42,061	1,48,044	5,68,488
9	जींद	19,077	69,538	2,10,919	8,69,699	2,29,996	9,39,237
10	कैथल	15,950	56,609	1,81,276	7,30,425	1,97,226	7,87,034
11	करनाल	18,579	58,631	2,48,356	9,84,835	2,66,935	10,43,466
12	कुरूक्षेत्र	16,158	55,501	1,57,648	6,20,598	1,73,806	6,76,099
13	महेंद्रगढ़	17,828	62,237	1,42,261	5,48,770	1,60,089	6,11,007
14	मेवात	18,707	83,674	2,19,154	11,69,406	2,37,861	12,53,080
15	पलवल	10,959	40,543	1,99,076	8,66,680	2,10,035	9,07,223
16	पंचकुला	3,485	12,383	72,865	3,07,375	76,350	3,19,758
17	पानीपत	11,472	38,512	2,14,821	8,88,182	2,26,293	9,26,694
18	रेवाड़ी	11,792	38,661	1,36,983	5,13,469	1,48,775	5,52,130
19	रोहतक	11,426	36,912	1,58,623	6,13,157	1,70,049	6,50,069
20	सिरसा	23,356	83,378	2,34,181	8,98,364	2,57,537	9,81,742
21	सोनीपत	11,386	37,976	2,26,250	8,99,814	2,37,636	9,37,790
22	यमुनानगर	14,524	46,836	2,15,281	8,75,314	2,29,805	9,22,150
	कुल	**3,06,012**	**10,59,265**	**41,80,942**	**1,68,84,780**	**44,86,954**	**1,79,44,045**

*****